

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 02/2023

अनवान : -

1. नरसाराम पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

-प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :- श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता प्राथी
पैरोकार राज

निर्णय


दिनांक: 30.05.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 274/676 की कुल 4.8415 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नरसिंह पुत्र कुरड़ाराम सहवन से दर्ज हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम नरसाराम पुत्र कुरड़ाराम है जो कि प्रार्थी के समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी अपना संशोधित करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की वो प्रार्थी का नाम नरसिंह पुत्र कुरड़ाराम के स्थान पर नरसाराम पुत्र कुरड़ाराम नाम वर्तमान जमाबंदी में दुरुस्त कर देवे जिसे अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि प्रार्थी का नाम नरसिंह के स्थान पर नरसाराम का संशोधन किया जाना उचित है।


पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 कैम्प कोर्ट में । हमने प्रार्थी को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 274/676

की कुल 4.8415 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम नरसिंह पुत्र कुरडाराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम नरसाराम पुत्र कुरडाराम है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम नरसाराम पुत्र कुरडाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है। प्रार्थी के नाम के संबंध में ग्राम पंचायत ननाउ ने तस्दीक भी पेश की गई है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत ननाउ के आधार पर प्रार्थी का नाम महेन्द्र होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता स0 274/676 की कुल 4.8415 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रार्थी का नाम नरसिंह पुत्र कुरडारा के स्थान पर सही नाम नरसाराम पुत्र कुरडारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जाता है। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच नरसिंह पुत्र कुरडाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का नरसिंह पुत्र कुरडाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम नरसिंह पुत्र कुरडाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.5.23 को मेरे प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफतर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प :सोनड़ी